भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3788

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

निधि का कम उपयोग

3788. श्री एन. रेड्डप्प :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधि का कम उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निधियों के कम उपयोग के कारण ऐसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ङ) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार निधि का उपयोग बजट आवंटन का 98.32 प्रतिशत था। हालाँकि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस मंत्रालय की सभी योजनाएँ केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस) हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं के लिए बजट आवंटन को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी आवश्यकताओं और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान व्यय की प्रवृत्ति के संबंध में प्राप्त इनपुट के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएसएस के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि के अपने संबंधित हिस्से का योगदान करना होगा तथा कुल उपलब्ध निधि का न्यूनतम 75% व्यय करना होगा और व्यय विवरण (एसओई)/उपयोग प्रमाण पत्र जमा करना होगा ताकि मंत्रालय निधिओं का केंद्रीय हिस्सा जारी कर सके।

जहां भी उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं होती हैं, वहाँ केंद्रीय हिस्से की निर्मुक्ति प्रभावित/विलंबित हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में अनपयुक्त शेष राशि रह जाती है।

तथापि, निधियों के उपयोग सहित योजनाओं के सुचारू संचालन और उचित कार्यान्वयन की समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंस और क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से समीक्षा की जाती है। केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में लगातार रत है।

*****